रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032020-218908
CG-DL-E-25032020-218908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1079] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2020/चैत्र 5, 1942
No. 1079] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2020/CHAITRA 5, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सं. 54/2015–2020

विषयः– हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 1208(अ).–विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा–संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इसके सूत्रणों के निर्यात से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति के अनुसूची 2 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैंः–

क्रम सं.	आईटीसीएचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207ड.	ईएक्स 29334900 ईएक्स 29333990 ईएक्स 29339900	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन	मुक्त	निषिद्ध

207च	ईएक्स 30049059 ईएक्स 30049099	हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बनाए गए सूत्रण	मुक्त	निषिद्ध

2. तथापि, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इससे बनाए सूत्रणों का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमत होगाः

क. निर्यात एसईजेड/ईओयू यूनिटों और उन मामलों में अनुमत होगा जहां निर्यात इस अधिसूचना की तारीख को अथवा इसके पहले जारी किए गए किसी अग्रिम लाइसेंस के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए किया गया है।

ख. निर्यात उन पोतलदानों के मामले में जहां इस अधिसूचना की तारीख के पहले अटल साख–पत्र (आईसीएलसी) जारी किया गया है अथवा यदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन विशिष्ट पोतलदान के मद्दे भारत में निर्यातक द्वारा पूर्ण अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है, अनुमत होगा।

ग. विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर मामला–दर–मामला आधार पर मानवीय आधारों पर भी भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को निर्यात अनुमत होगा।

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>

ऊपर वर्णित आईटीसी एचएस कोडों सहित किसी आईटीसी एचएस कोड के तहत आने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बनाए गए सूत्रणों का निर्यात तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। तथापि निर्यात केवल ऊपर पैरा 2 में वर्णित शर्तों के तहत अनुमत होगा।

[फा. सं. 01/91/180/21/एएम–20/ईसी]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2020

<u>No. 54 /2015-2020</u>

Subject: - Amendment in Export Policy of Hydroxychloroquine.

S.O. 1208(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendments in the Schedule 2 of the ITCHS Export Policy related to export of Hydroxychloroquine and its formulations, with immediate effect:

Sl. No.	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207 E	ex29334900 ex29333990 ex29339900	Hydroxychloroquine	Free	Prohibited
207 F	ex30049059 ex30049099	Formulations made from Hydroxychloroquine	Free	Prohibited

2. The export of Hydroxychloroquine and formulations made from it , however, shall be allowed under following conditions:

A. Export will be allowed from the SEZ/EOU Units and in cases where export is made to fulfill export obligation under any Advance license issued on or before the date of this notification.

B. Export will be allowed in case of shipments where Irrevocable Letter of Credit (ICLC) has been issued before the date of this notification or in case where full advance payment has been received by the exporter in India against specific shipment, subject to submission of documentary evidence.

C. Exports will also be allowed by the Government of India to other countries on humanitarian grounds on case to case basis on the recommendation of Ministry of External Affairs.

3. Effect of this Notification:

The export of Hydroxychloroquine and formulations made from Hydroxychloroquine falling under any ITCHS Code, including the ITCHS Codes mentioned above, is prohibited, with immediate effect. Export shall, however, be only allowed in the conditions mentioned in the Para 2 above.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.25 19:38:24 +05'30'